

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13, शक 1945

## वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-43/2017/1/पांच(52): मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43/2017/1/पांच(55) दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -  
"(i) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";
- iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

“(घ) “कंपनी” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।”

.2 यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-43-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43-2017-1-पांच (52), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> December 2023

No. F A 3-43/2017/1/V(52) : In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A 3-43/2017/1/V(55) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;

(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;

(iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely,

“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).”.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.